20 वीं सदी के उत्तरार्द्ध में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति

राजन कुमार*

किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। महिलाओं की स्थिति में समय–समय पर देश काल के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। समय के साथ भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए जिससे महिलाओं की स्थिति में दिन–प्रतिदिन गिरावट आती गई तथा गरीब महिलाओं पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि सैकड़ों वर्षों की परतन्त्रता के कारण भारतवर्ष विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका उतनी ही प्रमुख है जितनी कि शरीर को जीवित रखने के लिये जल, वायु, और भोजन हैं। स्त्रियां ही संतति की परम्परा में मुख्य भूमिका निभाती हैं फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियां उपेक्षित ही रही हैं। उन्हें कम से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता रहा है, इसी कारण महिलाओं की परिस्थिति अत्यन्त निचले स्तर पर है। भारतीय समाज की परम्परागत व्यवस्था में महिलायें आजीवन पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में जीवन–यापन करती रही हैं। भारतीय संविधान में पुरूषों एवं महिलाओं को समाज दर्जा और अधिकार दिये जाने के बावजूद इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि विकास और सामाजिक स्तर की दृष्टि से महिलायें अभी पुरूषों से काफी पीछे हैं। भारतीय समाज में महिला आज भी कमजोर वर्गों में शामिल है। महिला परिवार की आधारशिला है और सामाजिक विकास बहुत कुछ उसी के सद्प्रयासों से सम्भव है। जिस समाज की महिलायें उपेक्षा और तिरस्कार का शिकार होती हैं वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। महिलाओं के ऊपर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक एवं अन्य अनेक ऐसी निर्योग्यतायें लाद दी गई हैं जिसके कारण उन्हें जीवन में आगे बढ़ने एवं व्यक्तित्व का समुचित विकास करने का अवसर नहीं मिलता। ये निर्योग्यतायें उनके लिए बहुत बड़ी चुनातियां एवं समस्यायें बनकर उभरी है। इन निर्योग्यताओं के कारण कार्य में दक्षता, योग्यता एवं कुशलता होने के बावजूद ये महिलायें न तो सार्वजनिक क्षेत्र में अपना योगदान कर सकती थी और न शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं, न उच्च संस्थानों में नौकरी कर सकती थी और न किसी प्रकार का धार्मिक कार्य बिना पुरुष के सम्पादित कर सकती थीं। पुरूष वर्ग के साथ खानपान पर प्रतिबन्ध था। महिलाओं के लिये उच्च शिक्षा के दरवाजे पूर्णतया बन्द थे जिससे उन्हें विवशतापूर्ण जिन्दगी घर की चहारदीवारी के अन्दर व्यतीत करनी पड़ती थी। इन्हें पढ़–लिखकर नौकरी करने के अधिकारों से वंचित रखा गया था। महिलाओं की बदतर स्थिति के लिये मूलरूप से ही लड़कों, लड़कियों को संस्कार रूप में मिलने वाली सोच जिम्मेदार है, उसके बाद पारिवारिक, सांस्तिक, धार्मिक और सामाजिक परम्परायें, मूल्य तथा रीति–रिवाज इस दृष्टिकोण की ओर पुष्टि करते हैं। अतः इस सोच में बदलाव लाना महिला विकास की सबसे बड़ी चुनौती है। महिलाओं की शिक्षा पर बल देते हुये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948) के ये ऐतिहासिक शब्द भी ध्यान देने योग्य हैं, जो निम्न हैं :–

"शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरूष हो ही नहीं सकता। यदि पुरूषों और स्त्रियों में से केवल किसी एक के लिये सामान्य शिक्षा का प्रावधान करना हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए क्योंकि यह शिक्षा स्वयंएमेव अगली पीढी को प्राप्त हो जायेगी।"

सन् 1963 के वनस्थली विद्यापीठ में भाषण देते हुये पं0 जवाहर लाल नेहरू ने भी इसी तथ्य को दोहराया था कि लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है परन्तु एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है।

उपरोक्त विवेचन से महिलाओं के लिये शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट होता है लेकिन स्त्री शिक्षा इतनी आवश्यक होते हुये भी उपेक्षित है इसलिये महिलाओं के सामने यह एक जटिल समस्या एवं चुनौती के रूप में उभरकर सामने आयी है। शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि सभी दृष्टियों से महिलायें अभी भी पिछड़ी हुई है। कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से अनेक अधिकार प्राप्त होने और योजनागत विकास कार्यक्रमों के प्रावधानों के बावजूद महिलाओं की परिस्थिति शोचनीय ही है।

स्वामी विवेकानन्द के कथनानुसार कोई राष्ट्र तब तक अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता जब तक कि उसका प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के विकास में भागीदार नहीं बनता।

इस प्रकार स्त्री एक अच्छे समाज और अच्छे राष्ट्र का स्रोत होती है। विद्या से ही व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता और रूढ़िवादिता की जंजीरों को तोड़ सकता है। यदि स्त्री शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। शिक्षा ही हमें सामाजिक भेदभावों और ऊँच–नीच की भावनाओं से उबारने का काम करती है। इसलिये स्त्रियों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक होता जाता है क्योंकि उसके विचार ही उसके बच्चे होते हैं अगर वह अपने बच्चों को इन रूढ़िगत विचारों से दूर रखे और यह बताये कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। व्यक्ति के कार्य और विचार ही उसे छोटा या बड़ा बनाते हैं। यदि माता अपने बच्चों में जाति–भेद और

***शोधार्थी इतिहास विभाग, बी0 एन0 एम0 यू0, मधेपुरा**

धर्म–भेद रहित विचारों का बीजारोपण करे तो आगे चलकर वह एक ऐसा वृक्ष बनेगा जिसमें सामाजिक समरसता से पूर्ण फल लगेंगे जो बिना किसी भेदभाव के छाया भी प्रदान करेगा।

इस प्रकार एक शिक्षित स्त्री एक शिक्षित देश को जन्म देती है। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो हमें ऐसी बहुत सी विदुषी स्त्रियों के नाम मिल जायेंगे जिन्होंने अपनी विद्यता का लोहा मनवाया था और इस प्रकार इतिहास में अपना नाम अमर करवा लिया था। ऐसी स्त्रियों में अपाला, घोषा, गोपा, सावित्री, मैत्रेयी और गार्गी जैसी अन्य अनेक स्त्रियों के नाम मिलते हैं जिन्होंन विद्यार्जन कर स्त्रियों के अस्तित्व को गौरव प्रदान किया था। उनकी शक्ति थी उनकी विद्या, लेकिन बाद के कालों में उनकी यह शक्ति उनसे छीनी जाने लगी। उन्हें विद्या से रहित कर दिया गया और यही उनकी स्थिति की अवनत का कारण बना। देखा जाये तो आज भी वो स्थिति प्राप्त नहीं कर पाई है। हालांकि कुछ हद तक उसने अपने को उबारा है, लेकिन अभी भी पूर्णरूपेण उन्नति होना बाकी है। सामाजिक कुरीतियों का उसे शिकार बनाया गया। छोटी उम्र में विवाह प्रारम्भ हुये, उपनयन संस्कार से उसे वंचित किया जाने लगा, फलस्वरूप उसका व्यक्तित्व कुंठित हो गया है। बाल–विवाह के कारण शिक्षा उससे छिन गई और तब यह केवल संभ्रान्त परिवारों की स्त्रियों तक ही सीमित हो गई या पुरूष की संकीर्ण मानसिकता, स्त्री को शिक्षा से वंचित होना पड़ा जिसके कारण वह पर्दा–प्रथा, सती प्रथा, नियोग–प्रथा आदि अनेक बुराईयों की बेड़ियां काटने में असक्षम हो गई क्योंकि उसका हथियार "शिक्षा' उससे छीना जा चुका था। शिक्षा जोकि सिर्फ सर्वांगीण विकास ही नहीं करती बल्कि हमें समाज में व्याप्त बुराईयों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करती है। वो हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करती है।

आज भी बहुत से ऐसे ग्रामीणजन हैं जो वासनात्मक निषेध के कारण अपनी बालिकाओं को घर के बाहर नहीं जाने देते और बाल्यावस्था में ही विवाह कर देते हैं। वस्तुतः आज भी महिलायें पुरूष की नजर में महिला और मात्र महिला है, इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं हैं और पुरुषों का वासनात्मक लक्ष्य बनी हुई हैं। इस दृष्टि में परिवर्तन अपरिहार्य है।

गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने रामचरित मानस के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की है। महिलाओं में अद्वितीय क्षमता पायी जाती है। इन्होंने भक्ति साहित्य, राजनीति, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, सेना इत्यादि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जाकर अपनी अद्‌भुत प्रतिभा का अनोखा परिचय दिया है। आज महिलाओं को पहचानने की आवश्यकता है। ये सब कुछ कर सकती है। एक ओर बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकती है तो दूसरी ओर समाज में क्रान्ति भी ला सकती है। पुरुषों की सेवा करने में सक्षम है तो पुरुषों को झुकने और उनसे अपनी सेवा कराने की क्षमतो भी रखती है। यह सब कुछ कर सकती है।

विश्व में कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जहाँ महिलाओं की अनुपस्थिति में सामाजिक–आर्थिक विकास सम्भव हुआ हो। समाज को विकसित और प्रभावी बनाने के लिये समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होना अनिवार्य है। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य एवं देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज अनवरत संघर्ष के बल पर महिलाओं ने सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुचकर विकास के प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं को पुरूषों के समकक्ष प्रमाणित किया है। एक ओर जहां शहरों में महिलाएँ बुद्धि के हर क्षेत्र में स्वयं को पुरुषों के समकक्ष स्थापित किए हुए हैं वहीं ग्रामीण परिवेश में भी महिलाओं की साक्षरता बढ़ी है। वे शनैः शनैः स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। वे गांवों में पंचायत स्तर पर भी नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। वे नए जोश के साथ रसोईघर की दहलीज लांघकर सामाजिक दायित्व निभा रही हैं। अपने सपनों को वास्तविकता से रूबरू कराने के लिए नारी ने गरीबी और सामाजिक बंधनों का बहिष्कार किया है। ये सुधार यथार्थ में महिलाओं में चेतना के प्रतीक होने के साथ–साथ महिला सशक्तिकरण के द्योतक भी हैं।

वर्तमान भारत में संवैधानिक प्राविधानों के अनुसार महिलाओं को वे सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हो गये जो केवल पुरूष वर्ग तक ही सीमित रहे हैं। अतः वे सार्वजनिक कार्यों में पुरूषों के समान स्वेच्छा से भाग ले रही हैं। जिन कार्यों को पहले उनके लिये अयोग्य समझा जाता था। अब वे उन्हें भी करके यह सिद्ध कर रही हैं कि स्त्रियाँ किसी भी कार्य के लिये अयोग्य नहीं हैं। समाज की अनेक कुरीतियों के खिलाफ अब स्त्रियाँ विधान सभाओं तथा लोक सभाओं में आवाज उठा रही हैं। भारतीय समाज उच्चतम पदों (आई०ए०एस०, आई०पी०एस०, पी०सी०एस० एवं आई०एफ०एस०) के लिये चुनी जा रही हैं। विगत वर्षों में प्राथमिकता के रूप में इन सेवाओं के लिये महिलायें प्रथम स्थान पर योग्यता के आधार पर चयनित हुई हैं। अतः सभी प्रमाणों से स्पष्ट है कि स्त्रियाँ की सामाजिक दशा अब सुधर रही है। अब वह भारतीय राजनीति, प्रादेशिक राजनीति, जनपदीय राजनीति एवं पंचायती राज्य व्यवस्था में सक्रिय भूमिकायें करने लगी हैं और उसमें उनकी सक्रिय सहभागिता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. रमणिका गुप्ता – भारतीय महिलाएँ : नई दिशाएँ
2. एम0 ए0 अंसारी – राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी
3. आशारानी व्होरा – स्त्री सरोकार
4. हरिदास रामजी शेण्डे 'सुदर्शन' – नारी सशक्तिकरण

****